

2-मी

बजट आवंटन वर्ष 2011-12

प्रेषक,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी  
ललितपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, बलरामपुर, कुशीनगर, फतेहपुर, ज्योतिबाफूले नगर,  
सुल्तानपुर, सोनमद, आगरा, आजमगढ़, महोबा, गोण्डा, बस्ती, औरैया, कानपुर नगर,  
अम्बेडकर नगर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, चन्दौली, बिजनौर, एटा, हरदोई, उन्नाव एवं  
बहराइच।

पत्रांक:--जीओ-105/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दौ0आ0/11-12 दिनांक: 1 नवम्बर, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत दैवी आपदा हेतु  
धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17  
(बजट)/ 2010, दिनांक 11-04-2011 एवं शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17  
(बजट)/ 2010, दिनांक 9-9-2011 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के  
अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत महामाया आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष  
कुल रू0 55000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी है। वित्तीय स्वीकृति के  
उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात्  
रू0 5500.00 लाख की धनराशि दैवी आपदा आदि हेतु मात्राकृत की गयी है। उक्त  
मात्राकृत धनराशि में से रू0 715.05 लाख एवं रू0 104.85 लाख कुल रू0 819.90 लाख की  
धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। शेष बची धनराशि रू0 4680.10 लाख में  
से शासनादेश संख्या-1884/38-4-11-17(बजट)/10, दिनांक 28-11-2011 (छाया प्रति  
संलग्न) द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए रू0 725.92 लाख (रू0 सात करोड़  
पच्चीस लाख बान्बे हजार मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये  
जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश दिनांक 28-11-2011 द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में रू0 725.92  
लाख (रू0 सात करोड़ पच्चीस लाख बान्बे हजार मात्र) संलग्नक-3 के अनुसार  
आवंटित की जाती है। आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का  
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. धनराशि का व्यय दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवासविहीन परिवारों के लिए  
महामाया आवास पर ही नियमानुसार किया जायेगा।
2. धनराशि के व्यय में शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/  
2010, दिनांक 11-04-2011 एवं शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17  
(बजट)/ 2010, दिनांक 9-9-2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन  
सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।  
आहरण के एक सप्ताह के अन्दर आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक  
इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि  
अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।  
इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान  
संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण  
आवास- आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक  
योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु  
अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-187 पर कर ली गई है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
11/2/11  
(सजीव कुमार)  
आयुक्त  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: जीओ-105/सम्पेक्षा/म०आ०यो०/दौ०आ०/10-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ०प्र०शासन।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 8- नियोजन अनुभाग-2/3, उ०प्र०शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र०शासन।
- 10- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग-4, उ०प्र० शासन को शासनादेश संख्या-1884/38-4-11-17(बजट)/10, दिनांक 28-11-2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त (लेखा)  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

महामाया आवास योजनान्तर्गत की धनराशि का आवंटन  
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	0.00	35.40
3	BULANDSHAHAR	0.00	499.33
4	G.B. NAGAR*	0.00	28.35
5	BAGPAT	0.00	99.19
6	SAHARANPUR	0.00	411.98
7	MUZAFARNAGAR	0.00	146.85
8	MORADABAD	0.00	178.84
9	BIJNOR	35.55	578.05
10	RAMPUR	0.00	264.32
11	J.B.F. NAGAR	1.80	83.58
12	BAREILLY	0.00	341.76
13	BADAUN	0.00	1020.71
14	SHAHJAHANPUR	0.00	2052.41
15	PILIBHIT	67.50	426.33
16	AGRA	9.90	114.25
17	MAINPURI*	0.00	189.86
18	MATHURA	0.00	260.89
19	FIROZABAD	0.00	152.55
20	ALIGARH	0.00	198.64
21	ETAH	3.15	176.85
22	KANSHIRAM NAGAR	0.00	84.37
23	HATHRAS	0.00	89.32
24	JHANSI	0.00	711.34
25	JALAUN	0.00	264.82
26	LALITPUR	55.35	601.20
27	BANDA	0.00	481.27
28	HAMIRPUR	0.00	134.83
29	MAHOBA	0.97	235.14
30	CHITRAKUT	0.00	710.14
31	ALLAHABAD	0.00	2240.10
32	FATEHPUR	3.60	1300.77
33	PRATAPGARH	0.00	930.61
34	KAUSHAMBHI	0.00	2360.88
35	KANPUR NAGAR	2.25	326.41
36	KANPUR DEHAT	0.00	805.07
37	ETAWAH	0.00	425.82
38	FARRUKHABAD	26.10	291.60
39	KANNAUJ	0.00	346.28
40	ORRAIYA	0.45	152.87
41	VARANASI	0.00	303.92
42	GHAZIPUR	0.00	713.48



महामाया आवास योजनान्तर्गत की धनराशि का आवंटन  
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
43	JAUNPUR	0.00	1371.80
44	CHANDAULI	194.85	896.85
45	MIRZAPUR	0.00	699.39
46	SONBHADRA	13.50	1162.35
47	SANT RAVIDAS NAGAR	0.00	1295.00
48	LUCKNOW	0.00	1559.15
49	SITAPUR	0.00	2120.86
50	UNNAO	135.00	1459.86
51	HARDOI	22.50	2801.11
52	KHERI	0.00	2948.52
53	RAE BARELI	0.00	1147.41
54	GORAKHPUR	7.20	765.11
55	DEORIA	0.00	429.67
56	KUSHINAGAR	24.75	433.51
57	MAHRAJGANJ	0.00	652.92
58	BASTI	0.45	368.28
59	SIDHARTHANAGAR	0.00	912.64
60	SANT KABIR NAGAR	0.00	320.57
61	AZAMGARH	15.30	782.98
62	MAU	0.00	597.57
63	BALLIA	0.00	1402.72
64	FAIZABAD	36.90	455.66
65	BARABANKI	0.00	1457.44
66	SULTANPUR	19.35	1589.02
67	AMBEDKARNAGAR	12.15	1041.58
68	GONDA	10.35	689.70
69	BAHRAICH	19.35	214.85
70	BALRAMPUR	7.65	273.23
71	SHRAWASTI	0.00	425.70
72	C.S.M. NAGAR	0.00	0.00
	STATE TOTAL	725.92	51045.82

(रु० सात करोड़ पच्चीस लाख बान्बे हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(सेखा),  
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

ज० अ० 105 / लखनऊ / 28 / 11 / 2011

संख्या-1884 / 38-4-11-17 बजट / 10

श्री/सु/सु/सु  
28/11/11

श्री/सु/सु/सु

रिजियान सैम्पिल  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास  
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक-28 नवम्बर, 2011

विषय:- वर्ष-2011-12 में महामाया आवास योजनान्तर्गत दैवी आपदा हेतु  
आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-878/सम्प्रेक्षा/दैवी आपदा/  
2011-12, दिनांक- 30 सितम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ  
है कि महामाया आवास योजना के कार्यान्वय हेतु रू०-550.00 करोड़ की  
धनराशि का बजट व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त प्राविधानित बजट व्यवस्था में  
से 10 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रू०-55.00 करोड़ की धनराशि दैवी आपदा  
हेतु मात्राकृत की गई है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से दैवी आपदा से प्रभावित  
1589 परिवारों के लिए कुल रू०-715.05 लाख एवं 233 परिवारों के लिए  
रू०-104.85 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने की अनुमति दी जा  
चुकी है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से 1613 आवासविहीन परिवारों  
के लिए रू०-725.92 लाख की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने के  
प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते  
हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास विहीन परिवारों की संख्या	अपेक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1-	ललितपुर	123	55.35 ✓
2-	गोरखपुर	16	7.20 ✓
3-	फैजाबाद	59	26.55 ✓
4-	बलरामपुर	17	7.65 ✓
5-	कुशीनगर	55	24.75 ✓
6-	फतेहपुर	08,	3.60 ✓
7-	ज्योतिबाफूले नगर	04	1.80 ✓
8-	सुल्तानपुर	43	19.35 ✓
9-	सोनभद्र	30,	13.50 ✓
10-	आगरा	22	9.90 ✓
11-	आजगढ़	34	15.30 ✓
12-	महोबा	2	0.97 ✓

(5)

13-	गोण्डा	23	10.35 ✓
14-	बस्ती	1	0.45 ✓
15-	औरैया	1	0.45 ✓
16-	कानपुर नगर	5	2.25 ✓
17-	अम्बेडकर नगर	27	12.15 ✓
18-	फैजाबाद/	23	10.35 ✓
19-	फर्रुखाबाद	58	26.10 ✓
20-	पीलीभीत	150	67.50 ✓
21-	चन्दौली	433	194.85 ✓
22-	बिजनौर	79	35.55 ✓
23-	एटा	7	3.15 ✓
24-	हरदोई	50	22.50 ✓
25-	उन्नाव	300	135.00 ✓
26-	बहराइच	43	19.35 ✓
	योग-	1613	रु०-725.92

3- उक्त स्वीकृति धनराशि शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0- 2011-17 बजट/ 2010, दिनांक-11अप्रैल 2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

4- उक्त धनराशि जनपद ललितपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, बलरामपुर, कुशीनगर, फतेहपुर, ज्योतिबाफूले नगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, आजगढ़, महोबा, गोण्डा, बस्ती, औरैया, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, चन्दौली, बिजनौर, एटा, हरदोई, उन्नाव, बहराइच व आगरा में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। यदि उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

( रिजियान सैम्पिल )  
विशेष सचिव।

3/

संख्या-1884(1)/38-4-11 तददिनांक


उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

6

- 2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- संबंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
- 6- संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
- 9- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(डा० हरिश्चन्द्र)  
विशेष कार्यधिकारी।